SHIKSHA SAMVAD
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
© Shiksha Samvad|Volume-04| Issue-01| September- 2026
Available online at: https://shikshasamvad.com/
DOI: - https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v4i1.10

शेखावाटी क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से विरासत पर्यटन विकास का अध्ययन

मान सिंह बाजिया
शोधार्थी,
जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य शेखावाटी क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से विरासत पर्यटन के विकास की संभावनाओं, चुनौतियों तथा प्रभावों का विश्लेषण करना है। शेखावाटी अपनी भित्तिचित्रों से सुसज्जित हवेलियों, किलों, मंदिरों, लोक परंपराओं एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण राजस्थान के प्रमुख विरासत पर्यटन क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान रखता है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, निजी पर्यटन उद्यमों, स्थानीय समुदायों तथा विरासत संरक्षण संस्थाओं के समन्वित प्रयास किस प्रकार क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना, संरक्षण, रोजगार तथा स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही, पर्यटक सुविधाओं, विपणन, डिजिटल प्रचार, निवेश, संरक्षण एवं समुदाय की भागीदारी से संबंधित प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण किया जाएगा। अध्ययन से अपेक्षा है कि सार्वजनिक-निजी सहभागिता के लिए प्रभावी एवं टिकाऊ मॉडल विकसित करने में उपयोगी सुझाव प्राप्त होंगे, जिससे शेखावाटी की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के साथ-साथ समावेशी क्षेत्रीय विकास को भी गति मिल सके।

प्रमुख शब्द: शेखावाटी, विरासत पर्यटन, सार्वजनिक-निजी सहभागिता, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन विकास, स्थानीय समुदाय, सतत पर्यटन, विरासत संरक्षण।

1. परिचय

विरासत पर्यटन समकालीन पर्यटन व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण एवं तीव्र गति से विकसित होता हुआ आयाम है, जिसका मूल उद्देश्य किसी क्षेत्र की ऐतिहासिक, स्थापत्य, सांस्कृतिक, कलात्मक तथा सामाजिक विरासत से पर्यटकों को परिचित कराना है। यह पर्यटन केवल ऐतिहासिक स्मारकों, दुर्गों, महलों अथवा प्राचीन भवनों के भ्रमण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें किसी स्थान की जीवन-पद्धति, लोककला, शिल्प, खान-पान, धार्मिक परंपराओं, उत्सवों, लोक-स्मृतियों तथा सामुदायिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को अनुभव करना भी सम्मिलित है। यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत को केवल भौतिक स्मारकों और स्थापत्य संरचनाओं तक सीमित न मानते हुए समुदायों द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित अमूर्त सांस्कृतिक परंपराओं को भी इसका अभिन्न हिस्सा माना है (यूनेस्को, 1972)। इस दृष्टि से विरासत पर्यटन किसी स्थान के अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ने वाली ऐसी प्रक्रिया है, जो सांस्कृतिक संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अवसर भी उत्पन्न करती है। टिमोथी और बॉयड के अनुसार विरासत पर्यटन अतीत की व्याख्या, प्रस्तुति और अनुभव पर आधारित पर्यटन गतिविधि है, जिसके माध्यम से पर्यटक किसी स्थान के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को समझने का प्रयास करते हैं (टिमोथी और बॉयड, 2003)। इसलिए विरासत पर्यटन को सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण, स्थानीय पहचान की अभिव्यक्ति तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास के बीच सेतु के रूप में देखा जा सकता है।

भारत में विरासत पर्यटन की संभावनाएँ अत्यंत व्यापक हैं, क्योंकि देश की ऐतिहासिक यात्रा में अनेक सभ्यताओं, राजवंशों, धार्मिक परंपराओं, स्थापत्य शैलियों, लोक संस्कृतियों और कलात्मक परंपराओं का विकास हुआ है। प्राचीन नगरों, पुरातात्त्विक स्थलों, दुर्गों, महलों, मंदिरों, मस्जिदों, बौद्ध स्थलों, औपनिवेशिक इमारतों, हवेलियों तथा लोक एवं जनजातीय परंपराओं के रूप में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध विरासत उपलब्ध है। पर्यटन मंत्रालय की राष्ट्रीय पर्यटन नीति में भारत की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को पर्यटन विकास की महत्त्वपूर्ण आधारशिला स्वीकार करते हुए सतत, उत्तरदायी तथा समावेशी पर्यटन विकास पर बल दिया गया है (पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, 2022)। इस संदर्भ में विरासत पर्यटन का उद्देश्य केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना नहीं होना चाहिए, बल्कि पर्यटन से प्राप्त आर्थिक लाभों को स्थानीय समुदायों तक पहुँचाना, पारंपरिक कला एवं शिल्प को प्रोत्साहित करना तथा ऐतिहासिक संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करना भी होना चाहिए। इस प्रकार विरासत पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

राजस्थान भारत के विरासत पर्यटन परिदृश्य में विशिष्ट स्थान रखता है। राज्य के दुर्ग, महल, हवेलियाँ, मंदिर, ऐतिहासिक नगर, लोकनृत्य, लोकसंगीत, हस्तशिल्प, मेले तथा पारंपरिक जीवन-पद्धतियाँ इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान निर्मित करती हैं। राजस्थान में पर्यटन का विकास लंबे समय से इसकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़ा रहा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों के अतिरिक्त राज्य के अनेक अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध क्षेत्रों में भी विरासत पर्यटन की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग राज्य की स्थापत्य कला, ऐतिहासिक स्मारकों, लोक परंपराओं, कला एवं शिल्प को पर्यटन आकर्षण के प्रमुख आधारों के रूप में प्रस्तुत करता है (पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, 2024)। इस व्यापक विरासत परिदृश्य में शेखावाटी क्षेत्र अपनी विशिष्ट हवेली स्थापत्य एवं भित्तिचित्र कला के कारण विशेष महत्त्व रखता है।

शेखावाटी की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टता मुख्यतः इसकी भव्य हवेलियों, दुर्गों, मंदिरों, छतरियों तथा चित्रित स्थापत्य संरचनाओं में दिखाई देती है। वर्तमान राजस्थान के सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों के विभिन्न नगर एवं कस्बे शेखावाटी की सांस्कृतिक पहचान के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ की हवेलियों की दीवारों, प्रवेश द्वारों, आंतरिक कक्षों और छतों पर निर्मित भित्तिचित्र तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की विविध झलक प्रस्तुत करते हैं। इन चित्रों में पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रसंगों के साथ-साथ तत्कालीन सामाजिक जीवन, राजसी परिवेश, व्यापारिक गतिविधियों तथा आधुनिकता के प्रारंभिक प्रभावों का भी चित्रण मिलता है। इस कारण शेखावाटी की हवेलियाँ केवल स्थापत्य संरचनाएँ नहीं हैं, बल्कि वे क्षेत्र की सामाजिक-सांस्कृतिक स्मृति और ऐतिहासिक परिवर्तन की दृश्य अभिव्यक्तियाँ भी हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा भी शेखावाटी की हवेलियों और भित्तिचित्रों को क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में स्थान दिया गया है (पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, 2024)। इस विशिष्ट विरासत के कारण शेखावाटी में सांस्कृतिक एवं विरासत पर्यटन के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं।

शेखावाटी की विरासत का महत्त्व केवल उसके भौतिक स्थापत्य में नहीं, बल्कि उससे जुड़ी जीवित सांस्कृतिक परंपराओं में भी निहित है। स्थानीय लोकगीत, लोककथाएँ, धार्मिक अनुष्ठान, मेले, उत्सव, पारंपरिक हस्तशिल्प, खान-पान और सामाजिक रीति-रिवाज इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को व्यापक स्वरूप प्रदान करते हैं। इसलिए शेखावाटी के विरासत पर्यटन को केवल हवेलियों के भ्रमण तक सीमित करना क्षेत्र की वास्तविक सांस्कृतिक क्षमता को संकुचित कर देगा। विरासत पर्यटन के आधुनिक दृष्टिकोण में किसी क्षेत्र की भौतिक तथा अमूर्त दोनों प्रकार की विरासत को पर्यटन अनुभव का हिस्सा बनाने पर बल दिया जाता है। यूनेस्को के अनुसार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि समुदाय ही अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के वास्तविक संवाहक होते हैं (यूनेस्को, 2003)। अतः शेखावाटी में विरासत पर्यटन के विकास के लिए स्थानीय समुदाय, कारीगर, कलाकार, छोटे उद्यमी तथा युवा वर्ग महत्त्वपूर्ण हितधारक के रूप में देखे जाने चाहिए।

यद्यपि शेखावाटी में विरासत पर्यटन की संभावनाएँ व्यापक हैं, फिर भी इन संभावनाओं को प्रभावी पर्यटन विकास में परिवर्तित करने के मार्ग में अनेक संरचनात्मक एवं प्रबंधकीय चुनौतियाँ दिखाई देती हैं। अनेक पुरानी हवेलियाँ निजी स्वामित्व में हैं और उनके नियमित संरक्षण तथा रखरखाव के अभाव में उनकी स्थापत्य एवं चित्रकला संबंधी विशेषताओं के क्षरण की संभावना रहती है। कई विरासत स्थलों के आसपास पर्याप्त पर्यटक सुविधाओं, सूचना तंत्र, स्वच्छता, परिवहन, प्रशिक्षित मार्गदर्शकों तथा प्रभावी प्रचार-प्रसार की कमी भी पर्यटन विकास को प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, विरासत स्थलों के अत्यधिक व्यावसायीकरण से उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता और सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। सतत पर्यटन की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि पर्यटन विकास वर्तमान पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए स्थानीय समुदायों के हितों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध संसाधनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे (विश्व पर्यटन संगठन, 2018)। इसलिए शेखावाटी के लिए ऐसा पर्यटन विकास मॉडल आवश्यक है जिसमें संरक्षण और आर्थिक उपयोग के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। अतः शेखावाटी क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी सहभागिता को केवल निजी पूँजी आकर्षित करने की व्यवस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे विरासत संरक्षण, पर्यटन विकास, स्थानीय आर्थिक सशक्तीकरण और सांस्कृतिक निरंतरता के समन्वित माध्यम के रूप में समझना अधिक उपयुक्त होगा। एक प्रभावी सहभागिता मॉडल में सरकार संरक्षण के मानकों, नियमन और आधारभूत संरचना की जिम्मेदारी निभाए, निजी क्षेत्र उत्तरदायी निवेश एवं प्रबंधन में योगदान दे तथा स्थानीय समुदाय पर्यटन से संबंधित निर्णयों और लाभों में सार्थक भागीदार बने। इस प्रकार विकसित किया गया मॉडल शेखावाटी की ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए क्षेत्र में रोजगार, स्थानीय उद्यमिता और आय के नए अवसर उत्पन्न कर सकता है। साथ ही, यह क्षेत्र को राजस्थान के प्रमुख विरासत पर्यटन गंतव्यों की श्रेणी में अधिक प्रभावी ढंग से स्थापित करने में सहायक हो सकता है। इसलिए शेखावाटी में सार्वजनिक-निजी सहभागिता की संभावनाओं, सीमाओं, संस्थागत स्वरूप और प्रभाव का व्यवस्थित अध्ययन न केवल क्षेत्रीय पर्यटन विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि सतत विरासत संरक्षण और स्थानीय विकास के व्यापक विमर्श में भी उल्लेखनीय योगदान दे सकता है।

2. शेखावाटी क्षेत्र का विरासत पर्यटन

शेखावाटी राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसकी पहचान इसकी समृद्ध स्थापत्य विरासत, भित्तिचित्रों से अलंकृत हवेलियों, दुर्गों, मंदिरों, छतरियों तथा जीवंत लोक परंपराओं से निर्मित होती है। सामान्यतः शेखावाटी क्षेत्र का विस्तार वर्तमान सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों के विभिन्न भागों में माना जाता है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कछवाहा राजवंश तथा उससे संबद्ध स्थानीय शासकीय एवं सामंती परंपराओं के विकास से जुड़ा रहा है। क्षेत्र का नाम शेखावत राजपूतों से संबंधित माना जाता है, जिन्होंने मध्यकालीन एवं उत्तर-मध्यकालीन काल में यहाँ अनेक ठिकानों और बस्तियों के विकास में भूमिका निभाई। राजस्थान के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में शेखावाटी का महत्त्व केवल राजनीतिक इतिहास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों और समृद्ध व्यापारी समुदाय के उदय ने भी इस क्षेत्र के नगरों की सामाजिक एवं स्थापत्य संरचना को प्रभावित किया। विशेष रूप से उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में व्यापारिक परिवारों द्वारा निर्मित भव्य हवेलियों ने शेखावाटी को एक विशिष्ट स्थापत्य पहचान प्रदान की। राजस्थान के सांस्कृतिक पर्यटन संबंधी विवरणों में भी शेखावाटी को इसकी हवेलियों, भित्तिचित्रों और विशिष्ट लोक-सांस्कृतिक परंपराओं के कारण महत्त्वपूर्ण विरासत क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया गया है (पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, 2024)।

भौगोलिक दृष्टि से शेखावाटी अर्ध-शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में स्थित है, जहाँ सीमित वर्षा, गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा अपेक्षाकृत ठंडी सर्दियाँ क्षेत्र की प्राकृतिक एवं सामाजिक संरचना को प्रभावित करती हैं। यहाँ का भौगोलिक परिवेश पर्यटन की दृष्टि से एक विशिष्ट सांस्कृतिक परिदृश्य निर्मित करता है, जिसमें पुराने नगर, संकरी गलियाँ, हवेलियों की श्रृंखलाएँ, मंदिर, कुएँ, बावड़ियाँ, छतरियाँ और पारंपरिक बाजार एक-दूसरे से जुड़े हुए

दिखाई देते हैं। इस प्रकार शेखावाटी की विरासत को केवल अलग-अलग स्मारकों के रूप में नहीं, बल्कि एक समग्र सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है। यूनेस्को के अनुसार सांस्कृतिक विरासत का महत्त्व उसके भौतिक स्वरूप के साथ-साथ उससे संबंधित सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भी निहित होता है (यूनेस्को, 1972)। इस दृष्टि से शेखावाटी के नगर और ग्रामीण परिवेश स्वयं एक जीवित विरासत परिदृश्य का निर्माण करते हैं।

शेखावाटी की सबसे प्रमुख विरासत संपदा यहाँ की चित्रित हवेलियाँ हैं। मंडावा, नवलगढ़, झुंझुनूं, फतेहपुर, चूरू, रामगढ़, महनसर, डूंडलोद तथा लक्ष्मणगढ़ जैसे नगर एवं कस्बे अपनी हवेलियों और भित्तिचित्रों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन हवेलियों का निर्माण मुख्यतः समृद्ध व्यापारिक परिवारों द्वारा कराया गया था। हवेलियों के विशाल प्रवेशद्वार, आंतरिक आँगन, अलंकृत झरोखे, मेहराबें, छतरियाँ, जालियाँ तथा भित्तिचित्र उस समय की स्थापत्य एवं कलात्मक समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। अनेक हवेलियों की दीवारों पर धार्मिक आख्यानों, देवी-देवताओं, राजदरबार, युद्ध, सामाजिक जीवन और लोक प्रसंगों के साथ-साथ रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी, हवाई जहाज, टेलीफोन और यूरोपीय जीवनशैली जैसी आधुनिक वस्तुओं के चित्र भी दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शेखावाटी की चित्रकला परंपरा केवल धार्मिक अथवा सजावटी कला नहीं थी, बल्कि वह बदलते हुए सामाजिक जीवन और आधुनिकता के प्रवेश का दृश्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करती है। टिमोथी और बॉयड के अनुसार विरासत पर्यटन में ऐसे सांस्कृतिक संसाधन विशेष महत्त्व रखते हैं जो किसी समाज के अतीत और वर्तमान के बीच संबंध स्थापित करते हैं (टिमोथी और बॉयड, 2003)। शेखावाटी के विरासत परिदृश्य में हवेलियों के साथ-साथ अनेक दुर्ग, मंदिर, छतरियाँ और अन्य ऐतिहासिक भवन भी महत्त्वपूर्ण हैं। झुंझुनूं का खेतड़ी महल, मंडावा का दुर्ग, डूंडलोद का किला, महनसर की ऐतिहासिक हवेलियाँ तथा क्षेत्र के विभिन्न मंदिर और छतरियाँ स्थानीय इतिहास और स्थापत्य परंपरा की विविधता को दर्शाते हैं। इन संरचनाओं में राजपूत, मुगल और बाद के औपनिवेशिक प्रभावों का मिश्रित स्थापत्य दिखाई देता है। शेखावाटी की वास्तुकला में उपयोगितावादी संरचना और कलात्मक अलंकरण का सुंदर संयोजन दिखाई देता है। हवेलियों में आंतरिक आँगन, ऊँची दीवारें, झरोखे और जालियाँ जहाँ स्थानीय जलवायु के अनुरूप उपयोगी थीं, वहीं भित्तिचित्र एवं सजावटी तत्व उनके सौंदर्यात्मक मूल्य को बढ़ाते थे। इस प्रकार शेखावाटी की स्थापत्य विरासत तत्कालीन समाज की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक संरचना, धार्मिक विश्वासों और कलात्मक अभिरुचियों का समेकित प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है।

शेखावाटी की भित्तिचित्र कला इसकी विरासत पहचान का सबसे विशिष्ट पक्ष है। यहाँ की चित्रकला में प्राकृतिक रंगों, खनिज आधारित रंगद्रव्यों और पारंपरिक चित्रांकन तकनीकों का प्रयोग किया गया। आरंभिक चित्रों में धार्मिक एवं पौराणिक विषयों की प्रधानता थी, किंतु समय के साथ विषय-वस्तु में व्यापक परिवर्तन आया। रामायण, महाभारत, कृष्णलीला और विभिन्न देवी-देवताओं के प्रसंगों के साथ-साथ राजसी जीवन, व्यापार, सामाजिक समारोह, विवाह, लोकजीवन तथा विदेशी प्रभावों को भी चित्रित किया गया। विशेष रूप से आधुनिक तकनीकी वस्तुओं के चित्रण से यह संकेत मिलता है कि शेखावाटी की कला परंपरा अपने समय के सामाजिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील थी। इस दृष्टि से यहाँ की भित्तिचित्र कला इतिहास, कला और समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए महत्त्वपूर्ण स्रोत प्रदान करती है। इन चित्रों को केवल सजावटी कला के रूप में देखने के बजाय सामाजिक-सांस्कृतिक अभिलेख के रूप में समझना आवश्यक है।

शेखावाटी का विरासत पर्यटन केवल भौतिक संरचनाओं पर आधारित नहीं है। यहाँ की लोक संस्कृति, मेले, उत्सव और पारंपरिक सामाजिक परंपराएँ भी पर्यटन अनुभव का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। लोकगीत, लोकनृत्य, धार्मिक उत्सव, ग्रामीण मेले, पारंपरिक विवाह संस्कार, लोकदेवताओं से जुड़ी मान्यताएँ तथा हस्तशिल्प स्थानीय सांस्कृतिक जीवन को निरंतरता प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन स्थानीय समुदायों को एक-दूसरे से जोड़ने के साथ-साथ बाहरी पर्यटकों के लिए भी विशिष्ट सांस्कृतिक अनुभव उपलब्ध करा सकते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन के संदर्भ में स्थानीय परंपराओं को पर्यटन उत्पाद में सम्मिलित करने से न केवल पर्यटकों को अधिक प्रामाणिक अनुभव प्राप्त

होता है, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों के लिए आय के अवसर भी बढ़ते हैं। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की निरंतरता के लिए समुदायों की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक माना है (यूनेस्को, 2003)। इसलिए शेखावाटी के पर्यटन विकास में लोक संस्कृति को केवल मनोरंजन के साधन के रूप में नहीं, बल्कि जीवित सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षित करना आवश्यक है।

वर्तमान समय में शेखावाटी को राजस्थान के संभावनाशील विरासत पर्यटन क्षेत्रों में गिना जाता है, किंतु इसकी पर्यटन क्षमता का पूर्ण उपयोग अभी भी नहीं हो पाया है। क्षेत्र में घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों के लिए हवेली भ्रमण, विरासत भ्रमण, ग्रामीण अनुभव, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक आवास जैसी गतिविधियों की संभावनाएँ मौजूद हैं। मंडावा और नवलगढ़ जैसे स्थानों ने विशेष रूप से विरासत पर्यटन के क्षेत्र में पहचान बनाई है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा भी शेखावाटी के विभिन्न नगरों को हवेलियों, भित्तिचित्रों और सांस्कृतिक विरासत के कारण पर्यटन मानचित्र पर महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है (पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, 2024)। फिर भी शेखावाटी की पर्यटन स्थिति को जयपुर, उदयपुर या जैसलमेर जैसे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केंद्रों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि शेखावाटी को अक्सर व्यापक राजस्थान पर्यटन परिपथ में एक स्वतंत्र और पर्याप्त रूप से प्रचारित गंतव्य के बजाय सीमित अवधि के भ्रमण स्थल के रूप में देखा जाता है।

3. शोध पद्धति एवं सार्वजनिक-निजी सहभागिता

प्रस्तुत अध्ययन "शेखावाटी क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से विरासत पर्यटन विकास का अध्ययन" प्रकृति की दृष्टि से वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं अनुप्रयुक्त शोध है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य शेखावाटी क्षेत्र में विरासत पर्यटन की वर्तमान स्थिति का आकलन करना तथा यह विश्लेषित करना है कि सार्वजनिक संस्थाओं, निजी पर्यटन व्यवसायों और स्थानीय समुदायों के मध्य प्रभावी सहभागिता किस प्रकार विरासत संरक्षण एवं पर्यटन विकास को गति प्रदान कर सकती है। अध्ययन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार की शोध प्रविधियों का समन्वित उपयोग किया गया है, जिससे पर्यटन विकास से संबंधित तथ्यात्मक स्थिति के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों के अनुभव, धारणाएँ, अपेक्षाएँ और समस्याएँ भी समझी जा सकें। पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत से संबंधित अध्ययनों में बहु-पद्धति दृष्टिकोण को उपयोगी माना जाता है, क्योंकि विरासत पर्यटन का स्वरूप आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत सभी आयामों से जुड़ा होता है (टिमोथी और बॉयड, 2003)। इस अध्ययन में वर्णनात्मक विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्र की पर्यटन स्थिति को समझने तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से सार्वजनिक-निजी सहभागिता और विरासत पर्यटन विकास के बीच संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र के रूप में शेखावाटी क्षेत्र का चयन इसकी विशिष्ट ऐतिहासिक, स्थापत्य एवं सांस्कृतिक विरासत के कारण किया गया है। अध्ययन के व्यापक क्षेत्र में वर्तमान सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों के वे प्रमुख नगर एवं कस्बे सम्मिलित किए जा सकते हैं, जहाँ विरासत पर्यटन की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं। अध्ययन के लिए मंडावा, नवलगढ़, फतेहपुर, झुंझुनूं, चूरू, रामगढ़, महनसर, डूंडलोद तथा लक्ष्मणगढ़ जैसे प्रमुख विरासत केंद्रों को प्रतिनिधि स्थलों के रूप में चयनित किया जा सकता है। इन स्थलों का चयन उनकी ऐतिहासिक हवेलियों, भित्तिचित्रों, दुर्गों, मंदिरों, छतरियों, पारंपरिक बाजारों तथा पर्यटन गतिविधियों की उपस्थिति के आधार पर किया गया है। क्षेत्रीय चयन का उद्देश्य शेखावाटी में विरासत पर्यटन के विविध स्वरूपों को समझना तथा विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों पर सार्वजनिक-निजी सहभागिता की स्थिति में मौजूद समानताओं एवं भिन्नताओं की पहचान करना है।

अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े सीधे क्षेत्र से प्राप्त किए जाने के लिए पर्यटकों, स्थानीय निवासियों, पर्यटन व्यवसायियों तथा संबंधित सरकारी एवं गैर-सरकारी हितधारकों से जानकारी एकत्र करने की व्यवस्था की गई है। पर्यटकों से उनकी यात्रा के उद्देश्य, विरासत स्थलों के प्रति संतुष्टि, उपलब्ध सुविधाओं, सूचना एवं मार्गदर्शन, संरक्षण की स्थिति तथा भविष्य में पुनः यात्रा करने की इच्छा से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। स्थानीय निवासियों से पर्यटन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, रोजगार के अवसर,

स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव, विरासत संरक्षण में उनकी भूमिका तथा सार्वजनिक-निजी सहभागिता के प्रति उनकी धारणा से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाएगी। पर्यटन व्यवसायियों से निवेश, पर्यटन सेवाओं, विपणन, अवसंरचना, निजी क्षेत्र की भूमिका तथा सरकारी सहयोग से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। इसी प्रकार पर्यटन विभाग, स्थानीय प्रशासन, नगर निकायों तथा विरासत संरक्षण से जुड़े अधिकारियों से पर्यटन नीति, संरक्षण योजनाओं, सार्वजनिक निवेश, निजी सहभागिता और संस्थागत चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

द्वितीयक आँकड़ों के लिए सरकारी रिपोर्टों, पर्यटन विभाग के प्रकाशनों, राष्ट्रीय पर्यटन नीति, जनगणना संबंधी दस्तावेजों, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण से संबंधित उपलब्ध सामग्री, शोध-पत्रों, पुस्तकों, शोध-प्रबंधों, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत से संबंधित संस्थागत रिपोर्टों तथा विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय की *राष्ट्रीय पर्यटन नीति* में सतत एवं जिम्मेदार पर्यटन विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा विभिन्न हितधारकों की भागीदारी को महत्त्वपूर्ण माना गया है (पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, 2022)। इसी प्रकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में समुदाय की भूमिका को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्त्वपूर्ण माना गया है (यूनेस्को, 2003)। इन द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के साथ तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे अध्ययन की विश्वसनीयता एवं विश्लेषणात्मक क्षमता में वृद्धि हो सके।

अध्ययन में विभिन्न हितधारकों की धारणा को समझने के लिए बहु-स्तरीय नमूना चयन पद्धति अपनाई जा सकती है। अध्ययन के प्राथमिक सर्वेक्षण के लिए कुल 300 उत्तरदाताओं का नमूना प्रस्तावित किया गया है। इसमें 120 पर्यटक, 100 स्थानीय निवासी, 50 पर्यटन व्यवसायी तथा 30 संबंधित अधिकारी/विशेषज्ञ सम्मिलित किए जा सकते हैं। पर्यटकों का चयन प्रमुख विरासत स्थलों पर सुविधानुसार एवं उद्देश्यपूर्ण आधार पर किया जाएगा, जबकि स्थानीय निवासियों का चयन विरासत स्थलों के आसपास रहने वाले लोगों में से किया जाएगा। पर्यटन व्यवसायियों में होटल एवं विरासत-आवास संचालक, यात्रा एवं पर्यटन सेवा प्रदाता, स्थानीय मार्गदर्शक, हस्तशिल्प विक्रेता तथा अन्य संबंधित उद्यमी सम्मिलित किए जा सकते हैं। संबंधित अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का चयन उनके पद, अनुभव और विरासत पर्यटन से संबंधित कार्य के आधार पर उद्देश्यपूर्ण पद्धति से किया जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावित नमूना विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यद्यपि यह नमूना शेखावाटी की संपूर्ण जनसंख्या का सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व नहीं करता, फिर भी शोध के उद्देश्य के अनुरूप विभिन्न हितधारक समूहों की धारणाओं को समझने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान कर सकता है।

4. सार्वजनिक-निजी सहभागिता के अवसर, चुनौतियाँ एवं प्रभाव

शेखावाटी क्षेत्र में विरासत पर्यटन के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी सहभागिता को एक ऐसी रणनीतिक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है, जो सरकारी संसाधनों, निजी पूँजी, तकनीकी विशेषज्ञता तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता को एक साझा विकासात्मक ढाँचे में संयोजित करती है। शेखावाटी की विशाल विरासत संपदा—विशेषकर हवेलियों, भित्तिचित्रों, दुर्गों, मंदिरों और पारंपरिक सांस्कृतिक परिदृश्य—के संरक्षण तथा पर्यटन उपयोग के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, विशेषज्ञता और दीर्घकालिक प्रबंधन आवश्यक हैं। केवल सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर रहकर इतनी विस्तृत विरासत संपदा का संरक्षण कठिन हो सकता है, जबकि अनियंत्रित निजी निवेश से विरासत के व्यावसायीकरण और प्रामाणिकता के क्षरण का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए दोनों क्षेत्रों की क्षमताओं का संतुलित समन्वय आवश्यक है। विश्व बैंक के अनुसार सार्वजनिक-निजी सहभागिता का प्रमुख आधार सार्वजनिक एवं निजी पक्षों के बीच संसाधनों, जोखिमों तथा उत्तरदायित्वों का सुव्यवस्थित विभाजन है (विश्व बैंक, 2017)। शेखावाटी के संदर्भ में यह व्यवस्था तभी प्रभावी हो सकती है जब इसका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक लाभ के साथ विरासत संरक्षण और स्थानीय समुदाय के हितों की रक्षा करना हो।

विरासत संरक्षण में निजी निवेश की भूमिका

शेखावाटी के विरासत पर्यटन विकास में निजी निवेश का सबसे महत्त्वपूर्ण अवसर ऐतिहासिक हवेलियों, दुर्गों और अन्य विरासत भवनों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र की अनेक हवेलियाँ निजी स्वामित्व में हैं और उनके संरक्षण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। निजी स्वामियों, पर्यटन उद्यमियों, कॉरपोरेट संस्थाओं तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्थाओं को संरक्षण परियोजनाओं से जोड़कर इन भवनों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। निजी निवेश के माध्यम से संरचनात्मक मरम्मत, भित्तिचित्र संरक्षण, पारंपरिक निर्माण तकनीकों का पुनरुपयोग तथा भवनों की मूल स्थापत्य विशेषताओं को सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा सकते हैं। किंतु निजी निवेश का उद्देश्य केवल भवन को व्यावसायिक प्रतिष्ठान में परिवर्तित करना नहीं होना चाहिए। संरक्षण की प्रत्येक परियोजना में ऐतिहासिक प्रमाणिकता, मूल सामग्री, स्थापत्य शैली और सांस्कृतिक संदर्भ की रक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यूनेस्को के अनुसार विरासत संरक्षण में किसी स्थल की ऐतिहासिक अखंडता और सांस्कृतिक महत्त्व को सुरक्षित रखना मूलभूत आवश्यकता है (यूनेस्को, 1972)। अतः निजी निवेश को स्पष्ट संरक्षण मानकों और विशेषज्ञ निगरानी के अधीन रखना आवश्यक होगा।

पर्यटन अवसंरचना के विकास में सहभागिता

शेखावाटी में विरासत पर्यटन की संभावनाओं को वास्तविक पर्यटन गतिविधियों में परिवर्तित करने के लिए मजबूत पर्यटन अवसंरचना आवश्यक है। सड़क संपर्क, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल, सार्वजनिक शौचालय, पर्यटक सूचना केंद्र, संकेतक, डिजिटल सूचना प्रणाली तथा सुरक्षित भ्रमण मार्ग जैसी सुविधाएँ पर्यटक अनुभव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र इन सुविधाओं के विकास के लिए भूमि, नियोजन, वित्तीय सहायता और नियामक सहयोग प्रदान कर सकता है, जबकि निजी क्षेत्र निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव में निवेश कर सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से उन आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जा सकता है जिनका निर्माण और रखरखाव केवल सरकारी बजट पर निर्भर रहने से धीमा हो सकता है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति में भी पर्यटन अवसंरचना, निवेश, सेवा गुणवत्ता और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को पर्यटन विकास के महत्त्वपूर्ण आधारों के रूप में स्वीकार किया गया है (पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, 2022)। शेखावाटी के संदर्भ में अवसंरचना विकास का उद्देश्य केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि सुरक्षित, सुविधाजनक और विरासत-अनुकूल पर्यटन अनुभव तैयार करना होना चाहिए।

होटल, परिवहन, मार्गदर्शन एवं पर्यटक सुविधाएँ

पर्यटन गंतव्य की सफलता में आवास, परिवहन और मार्गदर्शन सेवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शेखावाटी में विरासत-आधारित आवास, पारंपरिक हवेलियों को पर्यटक आवास में परिवर्तित करना, स्थानीय भोजन पर आधारित भोजनालय तथा सांस्कृतिक अनुभव केंद्र विकसित करने की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। निजी क्षेत्र इस दिशा में निवेश करके पर्यटकों के ठहराव की अवधि बढ़ा सकता है। इसी प्रकार स्थानीय परिवहन व्यवस्था को विरासत पर्यटन परिपथ से जोड़कर विभिन्न हवेलियों, दुर्गों, मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों के बीच सुगम संपर्क विकसित किया जा सकता है। प्रशिक्षित स्थानीय मार्गदर्शक पर्यटकों को केवल स्थापत्य संबंधी जानकारी ही नहीं, बल्कि भित्तिचित्रों, स्थानीय इतिहास, लोककथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं की व्याख्या भी प्रदान कर सकते हैं। इससे पर्यटन अनुभव अधिक प्रामाणिक और ज्ञानवर्धक बन सकता है। सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा मार्गदर्शक प्रशिक्षण और प्रमाणन तथा निजी क्षेत्र द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने की संयुक्त व्यवस्था स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी अवसर पैदा कर सकती है।

डिजिटल प्रचार एवं विपणन

वर्तमान पर्यटन व्यवस्था में डिजिटल तकनीक पर्यटन गंतव्य की पहचान निर्मित करने और संभावित पर्यटकों तक पहुँचने का अत्यंत प्रभावी माध्यम बन चुकी है। शेखावाटी के संदर्भ में डिजिटल प्रचार के माध्यम से हवेलियों, भित्तिचित्रों, लोककलाओं, स्थानीय व्यंजनों, उत्सवों और विरासत

अनुभवों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से एक समेकित डिजिटल मंच विकसित किया जा सकता है, जिसमें विरासत स्थलों की प्रमाणित जानकारी, डिजिटल मानचित्र, भ्रमण मार्ग, टिकट व्यवस्था, आवास, स्थानीय मार्गदर्शक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हस्तशिल्प बाजार की जानकारी उपलब्ध हो। आभासी भ्रमण, त्रि-आयामी दृश्यांकन, क्यूआर आधारित सूचना तथा बहुभाषी डिजिटल सामग्री पर्यटकों के अनुभव को और अधिक प्रभावी बना सकती है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति में डिजिटल तकनीक और नवाचार के माध्यम से पर्यटक अनुभव तथा पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है (पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, 2022)। शेखावाटी की ब्रांड पहचान को मजबूत करने में इस प्रकार की डिजिटल रणनीति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

स्थानीय हस्तशिल्प एवं कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराना

विरासत पर्यटन और स्थानीय हस्तशिल्प के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जा सकता है। शेखावाटी की पारंपरिक कला, वस्त्र, चित्रकला, सजावटी वस्तुएँ, मिट्टी के उत्पाद तथा अन्य स्थानीय शिल्प पर्यटकों के लिए आकर्षक स्मृति-चिह्न बन सकते हैं। यदि विरासत स्थलों के आसपास व्यवस्थित हस्तशिल्प बाजार, स्थानीय कला केंद्र और कारीगर प्रदर्शन स्थल विकसित किए जाएँ, तो पर्यटकों के व्यय का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय अर्थव्यवस्था में रह सकता है। सार्वजनिक संस्थाएँ बाजार स्थल, प्रशिक्षण, प्रमाणन और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकती हैं, जबकि निजी क्षेत्र विपणन, ई-वाणिज्य, पैकेजिंग और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच प्रदान कर सकता है। इससे कारीगरों की आय बढ़ने के साथ पारंपरिक कौशलों के संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। यूनेस्को के अनुसार सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण तभी अधिक प्रभावी हो सकता है जब संबंधित समुदायों को उसकी निरंतरता और उपयोग से वास्तविक सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त हों (यूनेस्को, 2003)।

स्थानीय युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार

विरासत पर्यटन के विकास से स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। प्रशिक्षित स्थानीय युवा पर्यटक मार्गदर्शक, डिजिटल सामग्री निर्माता, यात्रा समन्वयक, परिवहन सेवा प्रदाता, आतिथ्य कर्मी और सांस्कृतिक व्याख्याकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। महिलाएँ पारंपरिक भोजन, हस्तशिल्प, वस्त्र, लोककला, गृह-आधारित पर्यटन सेवाओं और होम-स्टे जैसी गतिविधियों में भाग लेकर आय अर्जित कर सकती हैं। इस प्रकार पर्यटन केवल रोजगार की संख्या बढ़ाने का माध्यम न होकर स्थानीय सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण का साधन भी बन सकता है। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, सूक्ष्म वित्त तथा बाजार संपर्क उपलब्ध कराने से पर्यटन आधारित स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल सकता है। विश्व पर्यटन संगठन ने पर्यटन को स्थानीय रोजगार और समुदाय आधारित आर्थिक अवसरों के निर्माण का महत्त्वपूर्ण माध्यम माना है (विश्व पर्यटन संगठन, 2018)।

सामुदायिक सहभागिता एवं स्थानीय उद्यमिता

शेखावाटी के विरासत पर्यटन में स्थानीय समुदाय की भूमिका केवल सेवा प्रदाता के रूप में नहीं, बल्कि विरासत के संरक्षक और विकास प्रक्रिया के भागीदार के रूप में निर्धारित की जानी चाहिए। स्थानीय लोग अपने क्षेत्र के इतिहास, लोककथाओं, धार्मिक परंपराओं, स्थापत्य संरचनाओं और सांस्कृतिक व्यवहारों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। इसलिए पर्यटन विकास की योजना बनाते समय उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। स्थानीय समितियों, स्वयं सहायता समूहों, युवा समूहों और कारीगर संगठनों को पर्यटन नियोजन एवं निगरानी से जोड़ने से विकास अधिक सहभागी बनाया जा सकता है। स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देकर छोटे स्तर के भोजनालय, हस्तशिल्प केंद्र, मार्गदर्शक सेवाएँ, होम-स्टे, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय परिवहन सेवाएँ विकसित की जा सकती हैं। इससे पर्यटन का आर्थिक लाभ बड़े बाहरी निवेशकों तक सीमित रहने के बजाय स्थानीय स्तर पर वितरित हो सकेगा।

5. निष्कर्ष, सुझाव एवं भविष्य की संभावनाएँ

प्रस्तुत अध्ययन "शेखावाटी क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से विरासत पर्यटन विकास का अध्ययन" के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि शेखावाटी क्षेत्र में विरासत पर्यटन के विकास की अत्यंत व्यापक संभावनाएँ विद्यमान हैं। क्षेत्र की भित्तिचित्रों से सुसज्जित हवेलियाँ, दुर्ग, मंदिर, छतरियाँ, पारंपरिक बाजार, लोककलाएँ तथा जीवंत सांस्कृतिक परंपराएँ इसे राजस्थान के विशिष्ट विरासत पर्यटन क्षेत्रों में स्थान प्रदान करती हैं। विरासत पर्यटन का महत्त्व केवल पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों का अनुभव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति के संरक्षण, रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का माध्यम भी बन सकता है। टिमोथी और बॉयड के अनुसार विरासत पर्यटन अतीत की व्याख्या और सांस्कृतिक अनुभव के माध्यम से पर्यटन तथा विरासत संरक्षण के बीच संबंध स्थापित करता है (टिमोथी और बॉयड, 2003)। शेखावाटी के संदर्भ में यह संबंध विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की विरासत एक ओर भौतिक स्थापत्य के रूप में विद्यमान है और दूसरी ओर स्थानीय समुदायों की जीवित सांस्कृतिक परंपराओं में निरंतर अभिव्यक्त होती है।

अध्ययन से यह प्रमुख निष्कर्ष सामने आता है कि शेखावाटी की विरासत पर्यटन क्षमता अभी पूरी तरह उपयोग में नहीं लाई जा सकी है। क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में ऐतिहासिक हवेलियाँ, भित्तिचित्र, दुर्ग और सांस्कृतिक संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद पर्यटन अवसंरचना, संरक्षण, प्रचार-प्रसार, पर्यटक सुविधाओं और संस्थागत समन्वय से संबंधित कुछ सीमाएँ पर्यटन विकास की गति को प्रभावित करती हैं। अनेक विरासत भवन निजी स्वामित्व में होने के कारण उनके संरक्षण एवं पुनरुद्धार की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। इसके अतिरिक्त, कुछ स्थलों पर नियमित रखरखाव, वैज्ञानिक संरक्षण, सूचना प्रणाली, स्वच्छता, पार्किंग, प्रशिक्षित मार्गदर्शक और डिजिटल सुविधाओं का पर्याप्त विकास आवश्यक है। इस स्थिति से स्पष्ट होता है कि शेखावाटी में पर्यटन विकास के लिए केवल विरासत संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है; बल्कि उन संसाधनों का योजनाबद्ध संरक्षण, प्रबंधन, प्रस्तुतीकरण और विपणन भी आवश्यक है।

शेखावाटी के विरासत पर्यटन विकास की प्रमुख बाधाओं में विरासत भवनों का क्षरण, रखरखाव की कमी, निजी स्वामित्व, संरक्षण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव, अपर्याप्त पर्यटन अवसंरचना, सीमित प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी और विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय का अभाव प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यटन के अनियोजित विस्तार से पर्यावरणीय दबाव तथा विरासत स्थलों के व्यावसायीकरण की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है। यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के संदर्भ में ऐतिहासिक संपदा की अखंडता और प्रामाणिकता बनाए रखने को महत्त्वपूर्ण माना है (यूनेस्को, 1972)। अतः पर्यटन विकास की ऐसी रणनीति आवश्यक है जो विरासत संसाधनों के आर्थिक उपयोग और उनके दीर्घकालिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित कर सके।

सरकार के लिए नीतिगत सुझाव

शेखावाटी में विरासत पर्यटन के प्रभावी विकास के लिए सरकार को एक समेकित शेखावाटी विरासत पर्यटन नीति एवं कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। इस योजना में विरासत स्थलों की वैज्ञानिक सूचीकरण प्रक्रिया, संरक्षण की प्राथमिकताएँ, पर्यटन अवसंरचना, निजी निवेश, स्थानीय समुदाय की भागीदारी तथा पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक संरक्षण को एकीकृत किया जाना चाहिए। निजी स्वामित्व वाली हवेलियों के संरक्षण के लिए कर प्रोत्साहन, अनुदान, तकनीकी सहायता और संरक्षण आधारित वित्तीय योजनाएँ विकसित की जा सकती हैं। साथ ही विरासत भवनों में अनधिकृत संरचनात्मक परिवर्तन रोकने के लिए स्पष्ट नियामक मानक लागू किए जाने चाहिए। सरकार को विरासत पर्यटन परिपथों का विकास करते हुए मंडावा, नवलगढ़, फतेहपुर, झुंझुनूं, चूरू, महनसर और अन्य प्रमुख विरासत स्थलों को बेहतर सड़क एवं सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जोड़ना चाहिए। पर्यटक सूचना केंद्र, बहुभाषी संकेतक, स्वच्छता सुविधाएँ, पार्किंग, सुरक्षा और दिव्यांग-अनुकूल सुविधाओं को पर्यटन अवसंरचना

का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पर्यटन नीति में भी सतत, उत्तरदायी एवं समावेशी पर्यटन विकास पर बल दिया गया है (पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, 2022)।

सरकार को सार्वजनिक-निजी सहभागिता के लिए एक स्पष्ट एवं पारदर्शी संस्थागत ढाँचा विकसित करना चाहिए। प्रत्येक परियोजना में सार्वजनिक और निजी पक्षों की जिम्मेदारियों, निवेश, जोखिम, संरक्षण मानकों, राजस्व साझेदारी और प्रदर्शन मूल्यांकन को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना आवश्यक है। परियोजनाओं की निगरानी के लिए पर्यटन विभाग, स्थानीय निकाय, संरक्षण विशेषज्ञ, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों वाली बहु-हितधारक समिति गठित की जा सकती है। इससे संस्थागत समन्वय मजबूत होगा और निजी निवेश के कारण विरासत संरक्षण के मूल उद्देश्यों से विचलन की संभावना कम होगी।

निजी क्षेत्र के लिए सुझाव

निजी क्षेत्र को शेखावाटी में पर्यटन निवेश को केवल आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं, बल्कि उत्तरदायी विरासत पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहिए। ऐतिहासिक हवेलियों को होटल, संग्रहालय, सांस्कृतिक केंद्र या विरासत अनुभव स्थल के रूप में विकसित करते समय उनके मूल स्थापत्य, भित्तिचित्रों और ऐतिहासिक चरित्र को सुरक्षित रखना आवश्यक है। निजी पर्यटन उद्यमियों को स्थानीय वास्तु विशेषज्ञों, संरक्षण विशेषज्ञों और पारंपरिक कारीगरों के सहयोग से संरक्षण कार्य करना चाहिए। होटल, भोजनालय, परिवहन, यात्रा सेवाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने से पर्यटन के आर्थिक लाभ क्षेत्र के भीतर रहेंगे। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र को स्थानीय हस्तशिल्प और कला उत्पादों के लिए ई-वाणिज्य, डिजिटल विपणन और व्यापक बाजार संपर्क उपलब्ध कराने में योगदान देना चाहिए।

संदर्भ सूची

भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय। (2022)। *राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022*। पर्यटन मंत्रालय।

भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय। (2024)। *भारत पर्यटन सांख्यिकी 2024*। पर्यटन मंत्रालय।

राजस्थान सरकार, पर्यटन विभाग। (2024)। *राजस्थान पर्यटन*। राजस्थान सरकार।

विश्व बैंक। (2017)। *Public-private partnerships: Reference guide version 3.0*। विश्व बैंक समूह।

विश्व पर्यटन संगठन। (2018)। *Tourism and culture synergies*। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन।

टिमोथी, डी. जे., और बॉयड, एस. डब्ल्यू. (2003)। *Heritage tourism*। Pearson Education.

यूनेस्को। (1972)। *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage*। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन।

यूनेस्को। (2003)। *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन।

यूनेस्को। (2019)। *Operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention*। विश्व विरासत केंद्र।

प्रसाद, एस. (2018)। *राजस्थान की कला एवं संस्कृति*। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।

शर्मा, जी. एन. (2017)। *राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति*। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।

सिंह, आर. (2019)। *राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास*। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।

Cite the Article:

बाजिया, मान सिंह. (2026). शेखावाटी क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से विरासत पर्यटन विकास का अध्ययन. Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, 4(1) 89-98, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 04, Issue 01, September-2026. **DOI: -** https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v4i1.10

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.